

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-३ / विविध-०१-१०/२०२५-

२१३(३)

/ स्वा०, पटना, दिनांक: १७/५/२५

बिहार स्वास्थ्य सेवा / दंत चिकित्सक सेवा सर्वर्ग के निम्नांकित चिकित्सक / दंत धिकित्सक को कंडिका-०३ में अंकित प्रयोजन हेतु अनापत्ति प्रदान की जाती है:-

क्र०स०	चिकित्सक का नाम	अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने का प्रयोजन
१	२	३
१	डॉ नीतीश प्रभाकर, पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, मङ्गौल, बेरुसराय	NEET-SS-2024 में काउंसलिंग / नामांकन हेतु अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि चयनोपरान्त उक्त अवधि के लिए विभाग अथवा संबंधित स्वास्थ्य संस्थान से वेतन या अन्य भुगतान नहीं दिया जाएगा।
२	डॉ कुंज सुप्रज्ञा, चिकित्सा पदाधिकारी, पदस्थापन की प्रतीक्षा में स्वास्थ्य विभाग	NEET-SS-2024 में काउंसलिंग / नामांकन हेतु अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि चयनोपरान्त उक्त अवधि के लिए विभाग अथवा संबंधित स्वास्थ्य संस्थान से वेतन या अन्य भुगतान नहीं दिया जाएगा।
३	डॉ रवर्णि मुकुरी, चिकित्सा पदाधिकारी, पदस्थापन की प्रतीक्षा में स्वास्थ्य विभाग	NEET-SS-2024 में काउंसलिंग / नामांकन हेतु अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि चयनोपरान्त उक्त अवधि के लिए विभाग अथवा संबंधित स्वास्थ्य संस्थान से वेतन या अन्य भुगतान नहीं दिया जाएगा।
४	डॉ मुकेश रंजन, चिकित्सा पदाधिकारी, पदस्थापन की प्रतीक्षा में स्वास्थ्य विभाग	NEET-SS-2024 में काउंसलिंग / नामांकन हेतु अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि चयनोपरान्त उक्त अवधि के लिए विभाग अथवा संबंधित स्वास्थ्य संस्थान से वेतन या अन्य भुगतान नहीं दिया जाएगा।
५	डॉ अंकित राज, चिकित्सा पदाधिकारी, पदस्थापन की प्रतीक्षा में स्वास्थ्य विभाग	NEET-SS-2024 में काउंसलिंग / नामांकन हेतु अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि चयनोपरान्त उक्त अवधि के लिए विभाग अथवा संबंधित स्वास्थ्य संस्थान से वेतन या अन्य भुगतान नहीं दिया जाएगा।
६	डॉ मुकेश रंजन, चिकित्सा पदाधिकारी, पदस्थापन की प्रतीक्षा में स्वास्थ्य विभाग	भारत सरकार चिकित्सक अधीक्षक का कार्यालय, सफदरजंग एवं वी०एम०एम० कॉलेज, नई दिल्ली द्वारा विज्ञापित सीनियर रेजिडेंसी-२०२५ के चयन प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि चयनोपरान्त उक्त अवधि के लिए विभाग अथवा संबंधित स्वास्थ्य संस्थान से वेतन या अन्य भुगतान नहीं किया जाएगा।
७	डॉ पवन कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, पदस्थापन की प्रतीक्षा में स्वास्थ्य विभाग	आई०जी०आई०एम०एस०, शेखपुरा, पटना के सीनियर रेजिडेंट के पद पर चयन प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि चयनोपरान्त उक्त अवधि के लिए विभाग अथवा संबंधित स्वास्थ्य संस्थान से वेतन या अन्य भुगतान नहीं किया जाएगा।
८	डॉ सौरभ सुमन, चिकित्सा पदाधिकारी, पदस्थापन की प्रतीक्षा में स्वास्थ्य विभाग	आई०जी०आई०एम०एस०, शेखपुरा, पटना के सीनियर रेजिडेंट के पद पर चयन प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि चयनोपरान्त उक्त अवधि के लिए विभाग अथवा संबंधित स्वास्थ्य संस्थान से वेतन या अन्य भुगतान नहीं किया जाएगा।

9	डा० निकिता रमण, दंत चिकित्सक, सदर अस्पताल, मधेपुरा	आई०जी०आई०एम०एस०, पटना के द्वारा विज्ञापित पद सहायक प्राध्यापक-2025 के चयन प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अनुमति इस शर्त के साथ कि चयनोपरान्त योगदान पूर्व वर्तमान धारित पद से त्यागपत्र देना होगा ।
10	डा० पूनम सिन्हा, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, महनार, वैशाली	आई०जी०आई०एम०एस०, पटना के द्वारा विज्ञापित पद सहायक प्राध्यापक-2025 के चयन प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अनुमति इस शर्त के साथ कि चयनोपरान्त योगदान पूर्व वर्तमान धारित पद से त्यागपत्र देना होगा ।
11	डा० दिग्विजय कुमार सिंह, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, दिघवारा, सारण	आई०जी०आई०एम०एस०, पटना के द्वारा विज्ञापित पद सहायक प्राध्यापक-2025 के चयन प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अनुमति इस शर्त के साथ कि चयनोपरान्त योगदान पूर्व वर्तमान धारित पद से त्यागपत्र देना होगा ।

02. कम सं० 01 से 08 तक अंकित चिकित्सक अध्ययन/प्रशिक्षण प्रारम्भ करने के पूर्व अपने-अपने नियंत्री पदाधिकारी से विधिवत विरमित होना सुनिश्चित करेंगे ।

03. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक

२१३ [३]

/स्वा०, पटना, दिनांक १७/५/२०२५

प्रतिलिपि: महालेखाकार (लै० एवं ह०), बिहार, दीर्घचन्द्र पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार, पटना/सबंधित प्राचार्य/संबंधित अधीक्षक/सबंधित असैनिक शास्त्र चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी/दंत चिकित्सक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग/प्रशास्त्रा पदाधिकारी, 2, 8, 9 एवं 17 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बैवसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

WfmakRjM4h
सरकार के अवर सचिव